

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर 2013—आश्विन 6, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. एफ 22-12-2013-आठ.—राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-22-23-93-आठ, दिनांक 6 अक्टूबर, 1993 में अधिसूचित शहरों में तिपहिया टेम्पो की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी;

और यतः राज्य सरकार ग्वालियर शहर के लिये कम्प्रेसड नेचुरल गैस से चलने वाले 466 तिपहिया टेम्पो और चलाना चाहती है;

अतएव, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 74 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में, अनुक्रमांक 4 में, अंक "734" के स्थान पर, चिन्ह, अंक, कोष्ठक और शब्द "734+466 (कम्प्रेसड नेचुरल गैस से चलने वाले तिपहिया टेम्पो) कुल 1200" स्थापित किए जाएं.

No. F-22-12-2013-VIII.—WHEREAS, the State Government had fixed the ceiling of three wheeler tempos in the cities notified in this department Notification No. F 22-23-93-VIII, dated 6th October, 1993;

And Whereas, the State Government is inclined to add 466 compressed Natural Gas operated three wheeler tempos for Gwalior city;

Now, Therefore, in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the said Notification, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, in column (3), in serial number 4, for the figures "734", the figures, brackets and words "734+466 (Compressed Natural Gas operated three wheeler tempos) total 1200" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव कुमार झा, सचिव.